

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 53/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. (अ) - आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में बोर्ड के अनुमोदन से किसी फुटकर कर्मकार को पारेषित मालों या किसी फुटकर कर्मकार से प्राप्त मालों या किसी फुटकर कर्मकार से अन्य फुटकर कर्मकार को जुलाई से सितंबर, 2017 की तिमाही के दौरान भेजे गए मालों के संबंध में प्ररूप जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा करने की समय-सीमा का 30 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.2)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार